सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं .NCST/SER-1525/MRLY/8/2024-SSW – RU-IV

दिनांक :17.09.2025

To,

महानिदेशक,
रेल्वे सुरक्षा बल,
कमरा संख्या -440,
रेल भवन, नई दिल्ली -110001
ई।मेल: dgrpf@rb.railnet.gov.in

विषय: पूर्वोत्तर रेल्वे (RPF) द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारी का उत्पीड़न एवं भेदभाव करने के संबंध में श्रीमती अनीता बाई मीना -, ग्राम- मोहलाई, तहसील – बहरावंडा, जिला – दौसा, राजस्थान का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

योगेंद्र प्र. यादव

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रतिलिपि

श्रीमती अनीता बाई मीना,
ग्राम- मोहलाई, तहसील – बहरावंडा,
जिला – दौसा, राजस्थान – 303501

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/SER-1525/MRLY/8/2024-SSW

पूर्वोत्तर रेलवे (RPF) द्वारा अनुसूचित जनजाति के महिला कर्मचारी को उत्पीड़न एवं भेदभाव करने के संबंध में श्रीमति अनीता बाई मीना, ग्राम-मोहलाई, तहसील - बहरवंडा, जिला-दौसा (राजस्थान) की शिकायत में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 31.01.2025 को हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	15-07-2025 को 11.45 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

मामले में श्रीमति अनिता बाई मीना से आयोग में शिकायत दिनांक 02.09.2024 प्राप्त हुई जिसमे उन्होंने बताया कि वो 2016 से आर.पी.एफ में महिला कॉस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं | अपने ट्रांसफर के लिए कई बार आवेदन किया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका मानना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि गोरखपुर में अन्य महिला कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। वे परिवार की जिम्मेदारी निभाने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने पैतृक और ससुराल स्थान पर बार-बार यात्रा करनी पड़ती है। इसके अलावा, गोरखपुर में सेवारत रहते हुए उन्हें भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई। वे अधिकारियों से कई बार अनुरोध कर चुकी हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल को नोटिस दिनांक 02.09.2024 भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में उत्तर / रिपोर्ट संतोषजनक न प्राप्त होने पर आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 31.01.2025 को सिटिंग/सुनवाई तय की गई तदनुसार सम्बंधित प्राधिकारियों को सिटिंग /सुनवाई नोटिस जारी किए गए।

4. सुनवाई के दौरान महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, की ओर से अतिरिक्त महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल आयोग के समक्ष उपस्थित रहे | शिकायतकर्ता भी उपस्थित हुए।

5. सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा शिकायतकर्ता से उनकी समस्या के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे, आर.पी.एफ. ट्रेनिंग सेंटर, गोरखपुर में नौकरी प्राप्त की थी। उन्होंने वहाँ पाँच वर्षों तक बिना किसी शिकायत के सेवा दी और इस दौरान उनकी कार्य -प्रदर्शन रिपोर्ट भी उत्कृष्ट रही। सेवारत रहते हुए, वर्ष 2020 में उन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे, आर.पी.एफ. से उत्तर पश्चिम रेलवे में अंतर-स्थानांतरण (Inter-zonal Transfer) के लिए आवेदन किया था। विभागीय प्रक्रिया के अनुसार, उनके स्थानांतरण की सहमति/अनापत्ति (NOC) भी प्राप्त हो गई थी, लेकिन अब तक उनका स्थानांतरण नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने आयोग को यह भी बताया कि उनके साथ कार्यरत सभी सहकर्मी विभिन्न तरीकों से अपनी सुविधानुसार स्थानांतरित हो चुके हैं।

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

6. उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में, उनका स्थानांतरण आर.पी.एफ. गोरखपुर से इज्जत नगर मंडल में कर दिया गया, जहाँ उनकी ड्यूटी विभाग के निरीक्षक श्री गजेंद्र सिंह मीना के अधीन लगाई गई। इसके बाद, निरीक्षक द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा और बाद में उनके प्रति महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित अभद्र भाषा एवं गाली-गलौज का प्रयोग किया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें धमकाया गया कि वे उनके इंचार्ज हैं और जैसा कहा जाएगा, वैसा ही करना पड़ेगा। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि इस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अंततः, उन्होंने महिला यौन उत्पीड़न समिति में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन समिति ने उनकी बात सुने बिना एकतरफा निर्णय लेते हुए उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय उनका प्रसव निकट था, जिसके कारण वे समय पर अपील नहीं कर सकीं। शिकायतकर्ता एवं अन्य महिला सहकर्मियों द्वारा निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत की गई थी, जिसमें सहकर्मियों की शिकायत पर निरीक्षक पर कार्रवाई की गई। इसके बाद, निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि यदि वे पूर्वोत्तर रेलवे में सेवारत रहीं, तो उनसे बदला अवश्य लेगा, क्योंकि उन्हें उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उनके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो उन्हीं के साथ रहते हैं। इसलिए, वे पूर्वोत्तर रेलवे के किसी भी डिवीजन में स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं।

7. मामले में आयोग द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल से प्रकरण के बारे में जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने केवल यह बताया कि शिकायतकर्ता के स्थानांतरण संबंधी बिंदु पर वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि सामान्य वर्ग में उनकी स्थिति 161वें स्थान पर तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में 58वें स्थान पर है।

8. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा दिनांक 31.01.2025 को निम्नलिखित अनुशंसाएं की थी :-

A. चूंकि आवेदिका रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला कर्मचारी हैं तथा पूर्वोत्तर रेलवे में सेवा के दौरान स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रही हैं, अतः इस विषय को ध्यान में रखते हुए उनके स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाए।

B. मामले में स्थानांतरण हेतु अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची (सामान्य वर्ग में 161वां स्थान एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में 58वां स्थान तक), अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि, आवेदन तिथि तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की तिथि से संबंधित प्रमाणित जानकारी आयोग को प्रस्तुत की जाए।

C. 2016 से वर्तमान समय तक पूर्वोत्तर रेलवे से उत्तर पश्चिम रेलवे में अंतर-स्थानांतरण हेतु जारी आदेश/प्रपत्र की प्रमाणित प्रति आयोग को प्रस्तुत की जाए।

D. मामले में आवेदिका की महिला यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत के कारण रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाए।

E. इस मामले में शिकायतकर्ता के विरुद्ध विभाग द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई न की जाए।

9. प्रार्थिनी के असंतुष्ट होने पर, पुनः महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), नई दिल्ली को दिनांक 15.07.2025 को सुनवाई हेतु समन जारी किया गया। उक्त तिथि को महानिदेशक, RPF स्वयं सुनवाई में उपस्थित रहे। उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि RPF में स्थानांतरण प्रक्रिया वरीयता के आधार पर की जाती है, और जब भी प्रार्थिनी का क्रमांक आएगा, उन्हें स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही, प्रार्थिनी की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा नियमानुसार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि प्रार्थिनी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से अपने गृह राज्य में सेवा देना चाहें, तो उन्हें विभाग में आवेदन

प्रस्तुत करना होगा। विभाग संबंधित राज्य में पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार उनका नाम भेजने पर प्रमुखता से विचार करेगा। व् अभी आये हुए पदों पर उसका नाम भी प्रेषित करेंगे

सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं:

A. प्रार्थिनी, उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग में आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करें।

B. संबंधित विभाग, उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 45 दिवस के भीतर आयोग को प्रेषित करे।

आशा लकड़ा
01/08/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1525/MRLY/8/2024-SSW – RU-IV

Sitting to be held on **15.07.2025 at 02.40 P.M-** पूर्वोत्तर रेल्वे (RPF) द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारी का उत्पीड़न एवं भेदभाव करने के संबंध में - **श्रीमती अनीता बाई मीना**, ग्राम-मोहलाई, तहसील - बहरवंडा, जिला-दौसा (राजस्थान) का दिनांक 02.09.2024 का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Director General, RPF, New Delhi**		
1.	Manoj Yadava IPS DG RPF	Rail Bhawan 7042927733	[signature]
2.	Sarika Mohan DIG / ESH	Rail Bhawan 9910487403	[signature]
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			